



कार्यालय उपनिबन्धक सदर, जौनपुर


किराया-1,000 / -रु0 प्रति माह

अवधि- 30 वर्ष


ई-स्टाम्प- 1500 / -रु0

मालियत- 72,000 रु0


- 1- पलेख प्रकार ----- किरायानामा
- 2- भूमि का प्रकार ----- आवासीय / व्यवसायिक
- 3- गौजा- जत्तालपुर परगना-हवेली तहसील-सदर, जिला- जौनपुर ।
- 4- सम्पत्ति का विवरण - आराजी न0- 505/0967 हे0 सम्पूर्ण ।











5- चौहद्दी -

पूरव - सड़क

पश्चिम - खेत राजवली व देवनरायन  
आदि।

उत्तर - नाला

दक्षिण- बंजर खेत लालबहादुर।

6- प्रथम पक्ष जमीन मालिक का नाम व पता व संख्या - 1

रामलखन सिंह महाविद्यालय रामपुर बैजापुर जौनपुर जरिये प्रबन्धक सुरेन्द्र  
प्रताप सिंह पुत्र स्व० राम लखन सिंह, नि० ग्रा०- बैजापुर, परगना- हवेली,  
तहसील- सदर, जौनपुर।

7- द्वितीय पक्ष किरायेदार का नाम व पता संख्या - 1

रामलखन सिंह महाविद्यालय समिति ग्राम व पोस्ट- रामपुर, बैजापुर  
जिला- जौनपुर जरिये प्रबन्धक सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० राम लखन सिंह  
नि० ग्रा०- बैजापुर, परगना- हवेली, तहसील- सदर, जौनपुर।

सुरेन्द्र प्रताप सिंह



सुरेन्द्र प्रताप सिंह



सुरेन्द्र प्रताप सिंह  
प्रबन्धक  
रामलखन सिंह महाविद्यालय समिति  
रामपुर बैजापुर, जौनपुर


हूँ कि हम प्रथम पक्ष जायदाद मुफसला जैल के  
मालिक व काबिज भूमिधर है। जिसे द्वितीय पक्ष 30 वर्ष के लिए 1,000/-रु0  
पर माह पर हम प्रथम पक्ष से किराये पर लेना चाहता है। जिसे हम प्रथम पक्ष  
द्वितीय पक्ष को स्वेच्छा से देना चाहता हूँ। लेहाजा हम प्रथम पक्ष व खुशी व  
रजामंदी द्वितीय पक्ष के हक में निम्नलिखित शर्तों पर दें रहा हूँ। यह कि

रामलखन सिंह महाविद्यालय समिति ग्राम व पोस्ट- रामपुर , बैजापुर


जिला- जौनपुर रामलखन सिंह फार्मसी कालेज रामपुर बैजापुर जौनपुर का  
संचालन करेगी।

1-यह कि हम प्रथम पक्ष जायदाद जैल को 30 वर्ष के लिए 1,000/-रु0  
मासिक किराये पर दें रहा हूँ।

2-यह कि द्वितीय पक्ष प्रति माह 1 तारीख से 10 तारीख के बीच किसी भी  
समय किराया अदा करना होगा।









Page 4

3- यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार अपने सुविधानुसार जमीन में तोड़-फोड़ व परिवर्तन कर सकते हैं। जिसके जिम्मेदार किराये दार स्वयं होंगे।


4- यह कि आराजी में द्वितीय पक्ष बिजली के लिए अपना स्वयं का मीटर लगवायेगे और बिजली का बिल स्वयं अदा करेगे।

5- यह कि द्वितीय पक्ष दुकान सम्बन्धी समस्त टैक्स की अदायगी स्वयं करेगे जिसका प्रथम पक्ष से कोई वास्ता सरोकार नहीं है।


6- यह कि किरायेदार व दुकान मालिक का सम्बन्ध ठीक रहा तो 30 वर्ष बाद किरायेदारी को रजिस्ट्री दफ्तर में आकर किरायेदारी की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

तफसील जायदाद वाका मौजा- जलालपुर, परगना-हवेली, तहसील-सदर,

जिला- जौनपुर, आराजी नं०- 505/0.967 हे० सम्पूर्ण को किराये पर दिया।

  
हुस्न प्रताप



  
हुस्न प्रताप



तारीख तहरीर - 23.08.2022 ई0

भसविदा कर्ता - सत्यप्रकाश सिंह बरतीका नवीस

कलेक्ट्री कचहरी सदर, जीनपुर ।  
सत्यप्रकाश सिंह (पेठ)

सत्यप्रकाश सिंह

सत्यप्रकाश सिंह

सत्यप्रकाश सिंह